

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.3 (ई)/अलेसे II/निप लिंक न. 3026 /

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री निकेश कलिया [लिंक नं. 3026] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (माध्यमिक), जोधपुर [13122] को दिनांक 01/07/2012 से दिनांक 09/01/2017 तक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जोधपुर प्रथम के कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 3 प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता (अधिकतम 6 माह तक) स्वीकृत किया जाता है।

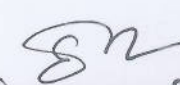

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.3 (ई)/अलेसे II/निप लिंक न. 3026 / 225

दिनांक :- 02.05.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जोधपुर प्रथम, जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (माध्यमिक), जोधपुर
3. कोषाधिकारी जोधपुर
4. श्री /श्रीमती / सुश्री निकेश कलिया [3026] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (माध्यमिक), जोधपुर
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली / निजी पत्रावली


(हेमलता कुमारी)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)